प्रेस-नोट-
दिनांक 09.03.2025, थाना इटियाथोक
जनपद गोण्डा।

डेढ माह पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने किया सफल अनावरण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-47/2025, धारा 103(1), 238(ए) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद हत्याभियुक्तों - 01. मो0 वकील, 02. शबीना को रेलवे स्टेशन इटियाथोक से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तकिया व रस्सी का टुकड़ा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.01.2025 को वादिनी द्वारा थाना इटियाथोक पर सूचना दी की उसका पति जो घर से दिनांक 15.01.2025 को शादी में जाने की बात बता कर गया था, का उसका शव दिनांक 18.01.2025 को पेराड़ नाला के पास मिला है, पाये जाने पर मृत्यु का कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम करा लेने के सम्बन्ध में फौती सूचना दर्ज कराया गई थी। पुनः आवेदिका द्वारा उसके पति की हत्या कर शव छिपाये जाने के सम्बन्ध में नामजद तहरीर देते हुए मु0अ0सं0 47/2025 धारा 103(1)/238(ए) बी0एन0एस0 बनाम 1. सवीना पत्नी वकील 2. वकील पुत्र सुवेदार खां निवासीगण रानीजोत अयाह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा द्वारा उक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था, इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर गोण्डा महोदया के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक गोण्डा के कुशल नेतृत्व में थाना इटियाथोक की पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में मैनुअल तथा तकनीकी साक्ष्य संकलन के आधार पर नामजद दोनों हत्याभियुक्तों को आज दिनांक 09.03.2025 को गिरफ्तार कर पूछ ताछ करते हुए उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल (तकिया व रस्सी का टुकड़ा) बरामद कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मो0 वकील द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरा विवाह शबीना से करीब 02 वर्ष पूर्व हुआ था, अभी हाल में ही मुझे जानकारी हुई कि मेरी पत्नी शबीना का शकील अहमद पुत्र सवर अली निवासी ग्राम विरमापुर थाना इटियाथोक जिला गोण्डा के साथ प्रेम सम्बन्ध था, मैने शबीना को शकील से मिलने जुलने व बात करने से मना करते हुए समझाया तो वह तो मान गयी लेकिन काफी समझाने पर भी शकील अहमद नहीं माना, बल्की मेरी पत्नी का अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा तो मैने व मेरी पत्नी शबीना ने मिलकर शकील को मारने का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक शकील को दि0 15.01.25 को शाम में फोन कर मेरी पत्नी ने घर पर मिलने के लिये बुलाया और जैसे ही शकील घर में आया हम दोनों ने मिलकर शकील का मुंह तकिया से दबा कर उसकी हत्या कर दी, जब हम लोगों को यकीन हो गया कि शकील मर गया है तब हम दोनों लोग शकील की मोटर सायकिल पर ही उसका शव रखकर ग्राम मकदुमपुरवा पेराड़ नाला के पास गड्ढे में झाड़ियों में छिपा कर चले आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त -

01. मो0 वकील पुत्र सूबेदार खाँ निवासी ग्राम रानीजोत अयाह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
02. शबीना पत्नी मो0 वकील निवासी ग्राम रानीजोत अयाह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 47/2025 धारा 103(1)/238(ए) बी0एन0एस0 थाना इटियाथोक गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान-

रेलवे स्टेशन इटियाथोक

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता
02. म0उ0नि0 पूजा कुमारी
03. हे0कां0 शिवजीत यादव,
04. हे0कां0 संजय कुमार राय
05. म0कां0 सोनल मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।